

26⁵/₂₅

पत्रावली पेश। वकील पार्थी हाजिर।
पत्रावली में वकील पार्थी को पूर्व
में भी बार-बार अंतिम विधान
दी चुकी है कि अपार्थीगण की
तामिल की रसीदें पेश करे लेकिन
आज दिनांक तक तामिल की रसीदें
पेश नहीं की। अतः पार्थी का
आवेदन अन्तर्गत धारा 212 RTI
अन्तर्गत आदेश 9 नियम 5 के
तहत खारिज कि जाता है पत्रावली
फैसल शुमार होकर नम्बर से
कम होकर बाखिल دفتر है।

Signature

उपस्थित अधिकारी
दांतारामगढ़ (सीकर)